राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–संस्था/चि0अ0/एटी/प01/2011/ 53 दिनांक–13/05/11

–: आदेश :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यार्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 15600–39100 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए–11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 16800/– प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से अनुकूल चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करने की सशर्त पर नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:–

क्रम सं0	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा0 संजय सारण पुत्र श्री महेश कुमार सारण, सारण सदन,जनता कॉलोनी, केडिया सदन के पास झून्झूनू	89	04-06-77	M	OBC	प्रा0स्वा0केन्द्र अलसीसर (झुंझुनु)
2.	डा0 नम्रता जागावत, पत्नी ईश्वर दान चारण, 5–सी–46, जे0एन0वी0 कॉलोनी बीकानेर।	487	24-05-87	F	GEN	प्रा0स्वा0केन्द्र जयमलसर (बीकानेर)
3.	डा0 मनीषा गुप्ता, पत्नी श्री नीरज बंसल, द्वारा चाईल्ड केयर क्लिनिक, स्ट्रीट ग्रंड होटल, रामपुरा पुलिस स्टेशन के सामने रामपुरा, कोटा	494	08-01-78	F	GEN	सामु0स्वा0केन्द्र मोडक (कोटा)
4.	डा0 आशा लता पत्नि डा0 महावीर पावड़िया,आनन्द नगर, झलोनी समपन सरोवर के पास, खेरथल, अलवर।	565	16-02-84	F	OBC	प्रा0स्वा0केन्द्र ढीपरीचंबल (कोटा)
5.	डा0 योगेन्द्र सिंह गुर्जर, पुत्र श्री सरनाम सिंह गुर्जर, सरनाम मेडिकल स्टोर, जी0टी0 रोड, न्यू बस स्टेण्ड, मनिया, धौलपुर	740	10-12-82	M	SBC	प्रा0स्वा0केन्द्र चित्तौडा (धौलपुर)
6.	डा0 सपना कुमारी यादव पत्नि सचिन सिंह, ग्रा0 निहालपुर, पो0अखलिमपुर, तह0 बहरोड़, अलवर	846	04-07-85	F	OBC	सामु0स्वा0केन्द्र शाहजहांपुर (अलवर)
7.	डा0 प्रियदर्शिनी यादव पुत्र श्री बाबूलाल यादव, द्वारा गजानन्द यादव म0न0 358, अग्रसेन पथ, आफीसर केम्पस, खातीपुरा, जयपुर।	920	18-10-86	F	OBC	प्रा0स्वा0केन्द्र बिचून (जयपुर)
8.	डा0 सुमन मीणा, पत्नि डा0 हरी ओम मीणा, द्वारा श्री धनराज मीणा, बडे मन्दिर के पास, इटावा, तह0 पिपलदा, जिला– कोटा	992	04-08-81	F	ST	प्रा0स्वा0केन्द्र श्रीमहावीरजी (करौली)

" These appointments are subject to the decisions of S.B. Civil Writ Petition Nos. 142, 189, 319, 356, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 409, 410, 494, 496, 517, 603, 607, 608, 609, 648, 665, 711, 743, 773, 777, 789, 800, 801, 804, 806, 808, 889, 895, 903, 904, 937, 1043, 1054, 1107, 1112, 1155, 1197, 1258, 1259, 1260, 1365, 1433, 1484, 1696, 1700, 1755, 1873, 2081, 2087, 2088, 2132, 2207, 2208 of Year 2011 "

<u>इन्हें कार्यग्रहण करने के समय अपने गृह जिले के सबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।</u>

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की

वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (संशोधन) नियम,2000 के नियम 22–क के तहत इन्हें चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात 3 वर्ष की कालावधि के लिये ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन है।

दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर–भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नही करना है।

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नही है।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान,जयपुर।
4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान, जयपुर।
6) प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज संबंधित को भेजकर लेख है कि पीजी अध्ययनरत **अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण के समय संबंधित गृह जिले के पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से प्राप्त करें एवं संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट, प्राप्त कर मूल ही अभ्यार्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।**
7) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
9) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि **अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण के समय संबंधित गृह जिले के पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से प्राप्त करें एवं संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट, प्राप्त कर मूल ही अभ्यार्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।**
10) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा।
11) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
12) आदेश पत्रावली/ निजि पत्रावली।
13) प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।